हडको पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. हडको क्या है?

उत्तर: हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), हमारे देश में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी-वित्तपोषण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, को 25 अप्रैल 1970 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। हडको के पास 2,500 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 2,001.90 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी है।

19 मई, 2017 को, भारत सरकार ने एनएसई और बीएसई पर हडको इक्विटी को सूचीबद्ध करके हडको में 10.193% की सीमा तक शेयरधारिता का विनिवेश किया है, और जुलाई, 2021 के दौरान बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से अन्य 8% शेयरधारिता का विनिवेश किया है।

नई दिल्ली में प्रमुख कार्यालय होने के कारण, हडको पूरे भारत में क्षेत्रीय और विकास कार्यालयों के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर एक मजबूत और बहु-अनुशासनात्मक कार्य बल के माध्यम से काम करता है। हडको को 2002 में अनुसूची-एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपग्रेड किया गया था और 2024 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था।

प्रश्न 2. हडको की मुख्य वस्तुएं क्या हैं?

उत्तर: कंपनी की स्थापना:

- देश में आवासीय उद्देश्यों के लिए घरों के निर्माण या वित्त के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना या आवास और शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करना;
- नए या सैटेलाइट शहरों की स्थापना के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त या उपक्रम करना;
- आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के उद्देश्य से राज्य आवास (और/या शहरी विकास) बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचर और बॉन्ड की सदस्यता लेना।
- निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों को वित्तपोषित करना या स्थापित करना;
- भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त धन को अनुदान के रूप में या अन्यथा देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण या उपक्रम के प्रयोजनों के लिए प्रशासित करना (और);
- भारत और विदेशों में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों के डिजाइन और योजना की परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाओं को बढ़ावा देना, स्थापित करना, सहायता करना, सहयोग करना और प्रदान करना;

- आवास और शहरी विकास क्षेत्रों में उद्यम पूंजी निधि का कारोबार करना, इन क्षेत्रों में नवाचारों की सुविधा प्रदान करना और इकाइयों/शेयरों आदि में निवेश और/या सदस्यता लेना। उपरोक्त क्षेत्रों में सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित वेंचर कैपिटल फंड की;
- आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों और/या इकाइयों में निवेश और/या सदस्यता आदि के उद्देश्य से हडको का अपना म्यूचुअल फंड स्थापित करना। उपरोक्त उद्देश्य के लिए सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित म्यूचुअल फंड की।

प्रश्न 3. इसका मिशन क्या है?

उत्तर: जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्थायी पर्यावास विकास को बढ़ावा देना।

प्रश्न 4. इसकी दृष्टि क्या है?

उत्तर: लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्थायी पर्यावास विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख तकनीकी-वित्तीय संस्थान बनना।

प्रश्न 5. क्या हडको एक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) है और यदि हां, तो हडको का नियामक कौन है?

उत्तर: हां, हडको को तत्कालीन नियामक एनएचबी के साथ एचएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार एचएफसी को एनएचबी से आरबीआई में नियंत्रित करने की शक्ति को स्थानांतरित करना। आरबीआई ने 22.10.2020 को एचएफसी का नया नियामक ढांचा जारी किया।

हाल ही में आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचे में बदलाव के कारण हडको पर लागू मौजूदा और संशोधित नियामक ढांचे की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। हडको के मौजूदा व्यापार मॉडल और भविष्य की विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हडको द्वारा गठित टियर-I समिति ने हडको को आरबीआई के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत करने की सिफारिश की है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

प्रश्न 6. क्या हडको एक आईएसओ प्रमाणित संस्थान है?

उत्तर: हां, हडको को परियोजना और खुदरा वित्तपोषण सेवाओं, वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने, परामर्श और संयुक्त उद्यमों के लिए संसाधन जुटाने, और मानव निपटान योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग को कवर करने वाली अपनी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणीकरण के लिए पुनर्प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन मेसर्स यूआरएस सर्टिफिकेशन वैलिड अप सितंबर 2024 से प्राप्त हुआ है।

प्रश्न 7. पीएसयू के रूप में हडको की स्थिति क्या है?

उत्तर: हडको एक नवरत्न पीएसयू है ।

प्रश्न 8. हडको कर्मचारियों की संरचना क्या है?
उत्तर: हडको कर्मचारियों की संरचना इस प्रकार है:

लेवल	मौजूदा (₹में)	संशोधित (₹में)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	80,000- 1,25,000	2,00,000 3,70,000
निदेशक	75,000 1,00,000	1,80,000 3,40,000
वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (E9)	62,000 80,000	1,50,000 3,00,000
कार्यकारी निदेशक (ई-8)	51,300 73,000	1,20,000 2,80,000
महाप्रबंधक (ई-7)	43,200 66,000	1,00,000 2,60,000
संयुक्त महाप्रबंधक (ई-6)	36,600 62,000	90,000 2,40,000
उप. महाप्रबंधक (ई-5)	32,900 58,500	80,000 2,20,000
सहायक महाप्रबंधक (ई-4)	29,100 54,500	70,000 2,00,000
वरिष्ठ प्रबंधक (ई-3)	24,900 50,500	60,000 1,80,000
प्रबंधक (ई-2)	20,600 46,500	50,000 1,60,000
उप. प्रबंधक (ई-1)	16,400 40,500	40,000 1,40,000
सहायक प्रबंधक (ई-0)	12,600 32,500	30,000 1,20,000
सहायक ग्रेड जीआर I (NE-5)	10600 - 28200	26000-87000
सहायक ग्रेड जीआर II (एनई- 4)	9800- 26000	24000-80000
सहायक ग्रेड जीआर III (एनई- 3)	9200- 24500	22000-75000
परिचर फराश (एसजी) (एनई-2)	8600- 22900	21000-70000
परिचर फराश (NE-1)	9200- 21800	19500-65000

प्रश्न 9. हडको कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
उत्तर: हडको कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

प्रश्न 10. हडको का संसाधन आधार क्या है?
उत्तर: हडको की स्थापना रुपये के इक्विटी आधार के साथ की गई थी। 2 करोड़। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने इक्विटी आधार का विस्तार किया है। हडको का वर्तमान अधिकृत पूंजी आधार रु. 2500 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी रुपये है। 2001.90 करोड़। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in देखें।

प्रश्न 11. हडको के कार्यक्रम क्या हैं?
उत्तर: हडको नीचे सूचीबद्ध कार्यक्रमों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को लाभान्वित करने के लिए सहायता प्रदान करता है:

आवास वित्त:

- देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आवास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी
- एमआईजी और एचआईजी के लिए आवास
- सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए किराये का आवास और सार्वजनिक
- आवास एजेंसियों के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा भूमि अधिग्रहण

- व्यक्तिगत आवास ऋण शहरी

  बुनियादी ढांचा वित्त:

- जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य शहर स्तरीय उपयोगिता बुनियादी ढांचा
- सड़क और परिवहन (फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बस टर्मिनल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेसवे)
- सामाजिक बुनियादी ढांचा स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, वाणिज्यिक परिसर, मल्टीप्लेक्स आदि।
- उभरते क्षेत्र - आईटी पार्क, एक्सप्रेसवे, बिजली, दूरसंचार आदि।

परामर्श सेवाएं:

- वास्तुकला शहरी डिजाइन
- परिदृश्य
- शहरी और क्षेत्रीय आयोजना आंतरिक डिजाइन

  प्रशिक्षण:

- अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान एआरएम मानव बस्तियों और प्रबंधन संस्थान के माध्यम से आवास और शहरी विकास क्षेत्र में पेशेवरों की क्षमता निर्माण

- अनुसंधान अनुदान के माध्यम से शहरी क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करता है
- गृह कर्मचारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम, एचएसएमआई, आईआईएम, एनआईबीएम आदि में प्रशिक्षण।

प्रश्न 12. हडको ऋण सहायता के लिए पात्र उधारकर्ता कौन हैं?

उत्तर: पात्र उधारकर्ता :

1. राज्य स्तरीय वित्तपोषण संस्थान / निगम
2. जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड
3. विकास प्राधिकरण
4. आवास और शहरी विकास के लिए राज्य कार्यात्मक उधारकर्ता
5. नए नगर विकास
6. क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड
7. सुधार ट्रस्ट
8. नगर निगम/परिषद
9. संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां
10. सहकारी समितियां/न्यास
11. गैर सरकारी संगठन
12. बीओटी ऑपरेटरों, रियायतग्राहियों सहित निजी कंपनियां/उधारकर्ता

प्रश्न 13. आवास वित्त के तहत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं?

उत्तर: सभी प्रकार की आवास परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. ग्रामीण आवास
2. शहरी आवास
3. सहकारी आवास
4. सामुदायिक शौचालय
5. स्लम अपग्रेडेशन
6. पुलिस आवास में स्टाफ आवास
7. मरम्मत और नवीनीकरण
8. गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवास
9. निजी क्षेत्र के आवास
10. टेकआउट वित्त
11. भूमि अधिग्रहण सह निर्माण योजनाएं

रियल एस्टेट जैसे मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, आईटी पार्क, होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन, एसईजेड, एसपीए, हेल्थ क्लब, वेलनेस सेंटर

प्रश्न 14. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हडको वित्त के लिए किस प्रकार की परियोजनाएं पात्र हैं?

उत्तर: निम्नलिखित का निर्माण, वृद्धि और सुधार:

1. जल आपूर्ति परियोजना
2. सीवरेज और जल निकासी
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. कम लागत की स्वच्छता
5. एकीकृत क्षेत्र विकास योजना
6. सामाजिक अवसंरचना
7. परिवहन सड़कें, पुल, बस टर्मिनल, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि।
8. वाणिज्यिक/आर्थिक अवसंरचना
9. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण
10. औद्योगिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचा एसईजेड, गोदाम आदि।
11. सूचना / संचार / मनोरंजन (आईसीई)
12. दूरसंचार
13. पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।

प्रश्न 15. क्या हडको भूमि अधिग्रहण के लिए निधि है?

उत्त। भूमि अधिग्रहण के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि अधिग्रहण योजना के लिए सुरक्षा केवल सरकार होगी। बजटीय प्रावधान के माध्यम से चुकौती के साथ समर्थित गारंटी।

प्रश्न 16. हडको से परियोजना ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्त। उधारकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ऋण आवेदन निकटतम हडको कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित आवेदन पत्र हडको की वेबसाइट: www.hudco.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रश्न 17. हडको की ब्याज दर क्या है?

उत्तर: हडको की ब्याज दर परियोजनाओं के प्रकार, उधारकर्ता की श्रेणी, उधारकर्ता की रेटिंग पर निर्भर करती है। के लिए विवरण , कृपया हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in देखें

प्रश्न 18. क्या ब्याज दर में कोई छूट उपलब्ध है?

उत्तर: कुछ छूट हैं, जो ऋण की मात्रा, पेश की गई प्रतिभूतियों, उधारकर्ता की रेटिंग आदि @@ ## @@ पर निर्भर करती हैं विवरण के लिए, कृपया हडको की वेबसाइट अर्थात www.hudco.org.in

प्रश्न 19. हडको का ऋण आवेदन शुल्क और फ्रंट एंड शुल्क क्या है?

उत्तर: सभी नई योजनाओं के लिए ऋण आवेदन शुल्क और फ्रंट एंड शुल्क में छूट दी गई है।

प्रश्न 20. हडको किस हद तक वित्त दे सकता है?

उत्तर: i) उधारकर्ता:

किसी परियोजना के लिए ऋण राशि को परियोजना लागत के 90% तक वित्तपोषित किया जा सकता है।

ii) निजी क्षेत्र के उधारकर्ता

ऋण राशि परियोजना लागत के 66% तक हो सकती है, जो एक के लिए हडको के एनओएफ के अधिकतम 15% के अधीन है। समूह कंपनियों को हडको के एनओएफ के 25% तक परियोजना/एसपीवी और 100.00 करोड़ से अधिक की ऋण राशि आम तौर पर कंसोर्टियम के आधार पर स्वीकृत की जाएगी और अग्रणी ऋणदाता के अनुरूप उच्च ऋण इक्विटी अनुपात पर भी विचार किया जा सकता है। हडको के एनओएफ के लिए, कृपया वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध इसकी नवीनतम बैलेंस शीट देखें।

प्रश्न 21. क्या हडको संघ के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है?

उत्तर: हां, मौजूदा हडको दिशानिर्देशों के अनुसार।

प्रश्न 22. क्या हडको लीड लेंडर/ऋण सिंडिकेशन के रूप में सेवाएं प्रदान करता है?

उत्तर: हां, मौजूदा हडको दिशानिर्देशों के अनुसार।

प्रश्न 23. क्या आहरित हडको ऋण के लिए कोई प्रतिबद्धता शुल्क है?

उत्तर: नहीं, अब तक आहरित हडको ऋण के लिए कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं है।

प्रश्न 24. हडको द्वारा दी जाने वाली दरों के प्रकार क्या हैं?

उत्तर: हडको नई योजनाओं के लिए निश्चित ब्याज दर (3 वर्ष और 1 वर्ष) प्रदान करता है।

(कृपया वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध वित्तपोषण पैटर्न देखें)

प्रश्न 25. हडको ऋण का न्यूनतम कार्यकाल क्या है?

उत्तर: 5 वर्ष

प्रश्न 26. हडको ऋण की अधिकतम अवधि क्या है?

उत्तर: हडको 15 साल की चुकौती अवधि के साथ अधिकतम 17.5 वर्ष की अवधि तक ऋण प्रदान कर सकता है।

प्रश्न 27. हडको ऋण के लिए चुकौती विकल्प क्या हैं?

उत्तर: 1. मासिक

2. तिमाही

3. अर्ध-वार्षिक

4. वार्षिक

(क्र.सं. 3 और 4, ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी)

प्रश्न 28. क्या हडको में टेक आउट फाइनेंस उपलब्ध है?

उत्तर: टेक-आउट वित्त के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त निकालना उपलब्ध है। कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें, जिसका पता और टेलीफोन नग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न 29. एक उधारकर्ता हडको को ऋण के लिए आवेदन करने का अपना प्रस्ताव कहां प्रस्तुत कर सकता है?

उत्त। सभी योजना प्रस्ताव आम तौर पर परियोजना के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र वाले हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकार किए जाते हैं। हालांकि, उधारकर्ता के विशिष्ट अनुरोध पर, प्रस्ताव को किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है।

प्रश्न 30. हडको से ऋण के लिए आवेदन करते समय संपर्क का पहला बिंदु कौन है?

उत्त। ऋण आवेदन की स्वीकृति और पंजीकरण के लिए, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ग्राहक संबंध अधिकारी (सीआरओ) उपलब्ध है। सीआरओ हडको के निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर सभी परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करने और योजनाओं की पात्रता और पंजीकरण के निर्धारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के पूरे सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न 31. वे कौन सी प्रतिभूतियां हैं जो उधारकर्ता हडको से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं?

उत्त। राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/भूमि और भवनों का न्यायसंगत बंधक/चल और अचल संपत्तियों का दृष्टिबंधक/अधिकारों का समनुदेशन/कॉर्पोरेट गारंटी/व्यक्तिगत गारंटी आदि @@ ## @@ हालांकि, सुरक्षा परियोजना में शामिल जोखिम पर निर्भर करेगी।

प्रश्न 32. परियोजना ऋण के लिए मुख्य सुरक्षा क्या है?

उत्तर: i) एजेंसियां: सरकारी गारंटी या बैंक गारंटी या परियोजना संपत्तियों का बंधक।
ii) निजी एजेंसियां: परियोजना संपत्तियों का बंधक और दृष्टिबंधक।

प्रश्न 33. मुख्य सुरक्षा क्या है, यदि कुछ बुनियादी ढांचा परियोजना को बीओटी अवधारणा पर लिया जाता है?

उत्तर: परियोजना संपत्तियों का बंधक किसी भी प्रकार की परियोजनाओं के लिए मुख्य सुरक्षा है। हालांकि, बीओटी परियोजनाओं में, यदि परियोजना संपत्तियों का बंधक संभव/प्रवर्तनीय/अनुमेय नहीं है, तो ऋण को परियोजना अनुबंध, लाइसेंस, परमिट, बीमा पॉलिसी, सहमति, अनुमोदन, रियायतें आदि के असाइनमेंट द्वारा भी सुरक्षित किया जा सकता है। संविदात्मक अधिकार, सुरक्षा अधिकार, कार्रवाई योग्य दावे, टीआरए/एस्क्रो पर प्रभार और चल संपत्तियों का दृष्टिबंधक।

प्रश्न 34. सुरक्षा कवरेज अनुपात क्या होगा?

उत्त। ऋण की अवधि के दौरान न्यूनतम सुरक्षा कवरेज सरकार के लिए 125% से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी समय कुल बकाया ऋण राशि की निजी क्षेत्र की एजेंसियों के लिए एजेंसियां और 150%।

प्रश्न 35. स्टांप शुल्क/पंजीकरण आदि की लागत कौन वहन करेगा। ऋण दस्तावेज़ीकरण के लिए?

उत्तर: उधार लेने वाली एजेंसी

प्रश्न 36. हडको द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्शी सेवाएं क्या हैं?

उत्तर: हडको ने डिजाइन और परामर्श सेवाओं में दक्षता विकसित की है और निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं:

वास्तुकला डिजाइन और विस्तृत कार्य चित्र,

संरचनात्मक डिजाइन, परियोजना अनुमान, आंतरिक और बाहरी सेवाओं का डिजाइन, परिदृश्य योजना और डिजाइन,

आवास, शहरी और क्षेत्रीय योजना मुद्दों के लिए परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना।

अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं

नगर विकास योजना (सीडीपी), मास्टर प्लान आदि की तैयारी।

प्रश्न 37. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हडको द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्त। हडको ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की थी। घरों के निर्माण और संबंधित मामलों पर डीओएस एंड डॉन टीएस पर पैम्फलेट और किताबें वितरित की गई थीं। मॉडल गांव और मॉडल बस्ती जैसी प्रदर्शन परियोजनाओं का निर्माण मॉडल गांव के हिस्से के रूप में किया गया था और हडको द्वारा मॉडल बस्ती योजनाओं को निष्पादित किया गया था।

प्रश्न 38. क्या हडको वित्तीय सहायता भारत सरकार की कार्य योजना योजनाओं के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: हां, संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त के लिए राज्य सरकार के शेयर/यूएलबी शेयर पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न 39. क्या हडको सार्वजनिक जमा स्वीकार करता है?

उत्तर: नहीं, हडको ने जमाराशियों की स्वीकृति/नवीनीकरण को 01.07.2019 से बंद कर दिया था

प्रश्न 40. शहरी/ग्रामीण आवास के लिए लागत प्रभावी निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए हडको क्या कर रहा है?

उत्त। हडको आवास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त, लागत प्रभावी, निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में योगदान देता है, राष्ट्रीय भवन निर्माण केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर एमओएचयूए, भारत सरकार की एक योजना। भवन केंद्र सीबीआरआई जैसे राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान विकास निकायों द्वारा लाए गए अभिनव, लागत प्रभावी, टिकाऊ और सौंदर्य संबंधी कार्यों को बढ़ावा देते हैं। एसईआरसी, एनईईआरआई, आरआरएलएस,

एएसटीआरए, सीएसआर डीए, इनवेयर आरईबी, सीएसवी और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों और लॉरी बेकर द्वारा किए गए कार्य।

प्रश्न 41. सभी के लिए आवास (एचएफए), इसके उद्देश्य और दायरा क्या है?

उत्त। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा मिशन मोड में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें 2022 तक सभी के लिए आवास के प्रावधान की परिकल्पना की गई है जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करता है। मिशन निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यक्षेत्रों के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी निवासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरा करना चाहता है:

i. स्लम निवासियों की स्लम पुनर्वास जिसमें एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी डेवलपर्स की भागीदारी है
ii. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना
iii. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफायती आवास
iv. लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी

प्रश्न 42. सीएलएसएस क्या है?

उत्तर: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के घटकों में से एक है। पीएमएवाई (यू)-सीएलएसएस के तहत, भारत सरकार अधिकतम रु. तक के आवास ऋण पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों द्वारा बैंकों/एचएफसी से प्राप्त 6.00 लाख, जिनकी वार्षिक घरेलू आय क्रमशः 3.00 लाख रुपये और 3.00 रुपये 6.00 लाख रुपये तक है। सीएलएसएस के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए लाभ अधिकतम रु। 2.67 लाख रुपये के ऋण से अधिक। 6 लाख जिनकी अवधि 20 वर्ष है। उक्त योजना 17 जून, 2015 से प्रभावी है।

प्रश्न 43. सीएनए के रूप में हडको की क्या भूमिका है?

उत्त। हडको को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित किया गया है। केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) में से एक के रूप में भारत की। सीएनए की भूमिका में विभिन्न बैंकों/पीएलआई के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी लाभार्थियों को केंद्रीय सब्सिडी को चैनलाइज़ करना शामिल है, जिनके साथ हडको ने पीएमएवाई (यू) कार्यक्रम के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना घटक के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है।

आरटीआई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 44. सूचना क्या है?

उत्तर: जानकारी का अर्थ किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित डेटा सामग्री शामिल हैं। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक्सेस किया जा सकता है।

प्रश्न 45. लोक प्राधिकारी क्या है?

उत्तर: "लोक प्राधिकारी"" संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था है; या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा।" केंद्र सरकार या राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा निकाय या गैर सरकारी संगठन का वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।

प्रश्न 46. एक लोक सूचना अधिकारी क्या है?

उत्तर: लोक प्राधिकारी ने अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वे आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रश्न 47. सहायक लोक सूचना अधिकारी क्या है?

उत्तर: ये उप-मंडल स्तर के अधिकारी हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपना आरटीआई आवेदन या अपील दे सकता है। ये अधिकारी लोक प्राधिकरण या संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन या अपील भेजते हैं। एक सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। विभिन्न डाकघरों में डाक विभाग द्वारा नियुक्त सहायक लोक सूचना अधिकारी भारत सरकार के अधीन सभी लोक प्राधिकरणों के लिए सहायक लोक 2 सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न 48. केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क क्या है?

उत्तर: एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरण से कुछ जानकारी मांगना चाहता है, उसे आवेदन के साथ, एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या 10/- रुपये (दस रुपये) का भारतीय डाक आदेश भेजना आवश्यक है, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय है। जानकारी मांगने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में। लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को उचित रसीद देकर भी शुल्क का भुगतान नकद के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, आरटीआई शुल्क और भुगतान का तरीका आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 27 और धारा 28 के तहत भिन्न हो सकता है, उपयुक्त सरकार और सक्षम प्राधिकारी, क्रमशः आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकते हैं। इस अधिनियम की।

प्रश्न 49. जानकारी मांगने के लिए बीपीएल आवेदक के लिए शुल्क क्या है?

उत्तर: यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का है, तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे के होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रश्न 50. क्या आवेदन का कोई विशिष्ट प्रारूप है?

उत्तर: सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए।

प्रश्न 51. क्या जानकारी मांगने का कोई कारण देना आवश्यक है?

उत्तर: सूचना चाहने वाले को सूचना मांगने के कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 52. क्या सूचना के प्रकटीकरण से छूट का कोई प्रावधान है?

उत्तर: अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 की उप-धारा (1) में उन सूचनाओं के प्रकारों की गणना की गई है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है। धारा 8 की उप-धारा (2), हालांकि, यह प्रदान करती है कि उप-धारा 3 (1) के तहत छूट दी गई या आधिकारिक रहस्य अधिनियम, 1923 के तहत छूट दी गई जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित के नुकसान से अधिक है।

प्रश्न 53. क्या आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक को कोई सहायता उपलब्ध है?

उत्तर: यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप में अनुरोध करने में असमर्थ है, तो वह अपना आवेदन लिखने के लिए लोक सूचना अधिकारी की मदद ले सकता है और लोक सूचना अधिकारी को उसे उचित सहायता देनी चाहिए। जहां किसी भी दस्तावेज़ में सेंसरली रूप से अक्षम व्यक्ति तक पहुंच देने का निर्णय लिया जाता है, लोक सूचना अधिकारी, उस व्यक्ति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो निरीक्षण के लिए उपयुक्त हो।

प्रश्न 54. सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि क्या है?

उत्तर: सामान्य तौर पर, एक आवेदक को सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दी जाएगी। यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटे के भीतर आपूर्ति की जाएगी। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है या इसे गलत लोक प्राधिकारी को भेजा जाता है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अवधि में पांच दिन जोड़े जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

प्रश्न 55. क्या आरटीआई अधिनियम के तहत अपील का कोई प्रावधान है?

उत्तर: यदि किसी आवेदक को तीस दिन या 48 घंटे के निर्धारित समय के भीतर जानकारी की आपूर्ति नहीं की जाती है, जैसा भी मामला हो, या उसे दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो रैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी है। लोक सूचना अधिकारी को। इस तरह की अपील उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए, जिस तारीख को सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो गई है या उस तारीख से जिस पर सार्वजनिक सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त होता है। लोक प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में अपील का निपटान करेगा।

प्रश्न 56. क्या आरटीआई अधिनियम के तहत दूसरी अपील की कोई गुंजाइश है?

उत्तर: यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग के साथ दूसरी अपील पसंद कर सकता है जिस पर निर्णय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था या वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था।

प्रश्न 57. क्या इस अधिनियम के तहत शिकायतें की जा सकती हैं?

उत्तर: यदि हां, तो किन शर्तों के तहत? यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ है या तो इस कारण से कि ऐसे अधिकारी को संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है; या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या अपील को लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करने से इनकार कर दिया है; या उसे आरटीआई अधिनियम के तहत उसके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी जानकारी तक पहुंचने से इनकार कर दिया गया है; या उसे अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है; या उसे शुल्क की एक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित समझता है; या वह मानता है कि उसे अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है, वह सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

प्रश्न 58. तीसरे पक्ष की जानकारी क्या है?

उत्तर: अधिनियम के संबंध में तीसरे पक्ष का अर्थ नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से है जिसने सूचना के लिए अनुरोध किया है। तीसरे पक्ष की परिभाषा में सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है जिसे अनुरोध किया गया है।

प्रश्न 59. सूचना प्राप्त करने की विधि क्या है?

उत्तर: जो नागरिक अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में आवेदन करना चाहिए जिसमें आवेदन किया गया है। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे शुल्क नियमों में निर्धारित आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

प्रश्न 60. क्या कोई संगठन आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने से छूट प्राप्त है?

उत्तर: हाँ, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ आसूचना और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघनों के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर सूचना प्रदान करने से छूट दी गई है।